पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना ज०सं०–10/2017 50

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, (याँत्रिक), राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 28/08/18

विषय :– माँग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य विपत्र कोड–49S470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2018–19** में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2018–19** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80–सामान्य/	800–अन्य व्यय/ 46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05–निर्माण/ 45–निर्माण कार्य विपत्र कोड–49**S**470180800460545	**157.51**

आवंटित राशि –₹ एक करोड़ संतावन लाख एकावन हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2018–19** के बजट उपबंध राशि **रू० 1000.00 लाख (दस करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 एवं 2747/वि०, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(हेमन्त कुमार) अभियंता प्रमुख–1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2018 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

25.8.18
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 50 रॉची, दिनांक :– 28/8/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/बनासो/हजारीबाग/मंडल/लातेहार** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

25.8.18
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 50 राँची, दिनांक :– 28/8/18

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	28/08/18 (रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	(हेमन्त कुमार) अभियंता प्रमुख–1	25.8.18 (अरूण कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 28/8/18 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–800–अन्य व्यय
उप शीर्ष – 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–निर्माण कार्य, 49**S**470180800460545
वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध 1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये मात्र। (राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF56)	यॉंत्रिक	पगला वीयर योजना एवं हरणा वीयर योजना (उत्तर) के शीर्ष नियामक एवं त्रियक नियामक गेटों का यॉंत्रिक कार्य	62 / 16–17 प्र॰स्वी॰ दिनांक–28.11.2016	68.640	5.48	0.00	34.74	34.74	49306	Renovation work of C/R gates & H/R gates at Head Work site of Harna Weir (North) Scheme (AA for this work Rs. 45.08 lakh only)
			सुन्दर जलाशय योजना के डैम आउटलेट का दोनों गेटों का जीर्णोद्धार कार्य	07 / 17–18 प्र॰स्वी॰ दिनांक–26.04.2017	27.080	0.00	0.00	24.28	24.28	49310	Special Repair of Dam Outlet Gates of Sunder Reservoir Scheme
						योग	0.00	59.02	59.02		
2	यॉंत्रिक प्रमंडल, बनासो (HZBIRR028)	यॉंत्रिक	गोन्दा जलाशय योजना एवं गोलाई वीयर योजना के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यांत्रिक कार्य।	59 / 17–18 प्र॰स्वी॰ दिनांक–29.11.2017	50.840	0.00	0.00	4.75	4.75	49311	Renovation work comprising of fabrication & installation of gates, embedded part, hoisting arrangement of main outletof **"Gonda Reservoir Scheme."** (AA Rs. 4.24 lakh only)
			हिरू जलाशय योजना के यॉंत्रिक कार्यों हेतु	35 / 17–18 प्र॰स्वी॰ दिनांक–01.09.2017	18.390	0.00	0.00	18.37	18.37	49312	Fabrication, supplying, fitting, fixing and erection of service and Emergency Gates with Embedded parts, hoisting arrangement, trash rack and chequired plate on platform of well for **"HIROO RESERVOUR SCHEME"**
						योग	0.00	23.12	23.12		
3	यॉंत्रिक प्रमंडल, मंडल (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर (LTRIRR001)	यॉंत्रिक	चिरका जलाशय योजना एवं अन्नराज वीयर योजना के यांत्रिक कार्य	41 / 17–18 प्र॰स्वी॰, दिनांक–22.09.2017	44.500	0.00	0.00	18.00	18.00	49313	Renovation work of outlet gates and hoisting arrangement of Annaraj Weir Sch. (AA for this work Rs. 18.44 lakh only)
						0.00	0.00	26.00	26.00		Renovation work of outlet gates and hoisting arrangement etc of **CHIRKA RSERVOIR SCHEME (AA Rs 26.06 Lakh Only)**
			त्रिवेणी वीयर योजना, मयूराक्षी जलाशय योजना एवं धनकाई जलाशय योजना के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यांत्रिक कार्य हेतु	75 / 17–18 प्र॰स्वी॰, दिनांक–07.02.2018	63.410	0.00	0.00	26.50	26.50	49314	Renovation work of outlet gates and hoisting arrangement etc of **DHANKAI RESERVOIR SCHEME (AA Rs29.53 Lakh Only)**
			रामघाट, कबलदाग, घाघरी, पीरी, सोनरे एवं हरही वीयर योजना के विभिन्न गेटों एवं उत्तोलन प्रणाली के सामान्य रखरखाव हेतु	68 / 17–18 प्र॰स्वी॰, दिनांक–21.12.2017	4.870	0.00	0.00	4.87	4.87	49315	Repair and maintenance of other schems (RAMGHAT, GHAGHRI, KAWALDAG, PIRI, SONRE and HARHI WEIR SCHEME.
						योग	0.00	75.37	75.37		
						कुल योग	0.00	157.51	157.51		

आवंटित राशि –₹ एक करोड़ संतावन लाख एकावन हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–1

(अरूण कुमार सिंह) 25.8.18
अपर मुख्य सचिव